संख्या-183/2023/3588/22-2-2022-17(1467)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2023

विषय:- जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिनाम सिंह पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह, निवासी जनपद-अयोध्या की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिनाम सिंह पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह, जो ग्राम-पलिया प्रतापशाह, थाना-इनायतनगर, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2005 को अवैध सम्बन्धों के कारण अपनी पत्नी बिन्दू सिंह का गला घोट कर हत्या करने के उपरान्त शव को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-169/2006 धारा-302 आई0पी0सी0 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, फैजाबाद के आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2020 तक 14 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, अयोध्या द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.11.2005 को अवैध सम्बन्धों के कारण अपनी पत्नी बिन्दु सिंह का गला घोट कर हत्या करने के उपरान्त शव को मिट्टी का तेल डालकर जला देने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पत्नी को जलाकर मार डालने का अपराध किया गया है जो महिलाओं के प्रति घृणित अपराध की श्रेणी में होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरिनाम सिंह पुत्र इन्द्र बहादुर सिंह को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिनाम सिंह (बन्दी संख्या-541/2009) पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह, निवासी जनपद-अयोध्या के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-183/2023/3588(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

2- अधीक्षक, जिला कारागार सिद्धार्थनगर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-183/2023/3588/22-2-2022-17(1467)/2022

दिनांक 29 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिनाम सिंह पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह, जो ग्राम-पलिया प्रतापशाह, थाना-इनायतनगर, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2005 को अवैध सम्बन्धों के कारण अपनी पत्नी बिन्दू सिंह का गला घोट कर हत्या करने के उपरान्त शव को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-169/2006 धारा-302 आई0पी0सी0 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, फैजाबाद के आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-02-2020 तक 14 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, अयोध्या द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.11.2005 को अवैध सम्बन्धों के कारण अपनी पत्नी बिन्दु सिंह का गला घोट कर हत्या करने के उपरान्त शव को मिट्टी का तेल डालकर जला देने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पत्नी को जलाकर मार डालने का अपराध किया गया है जो महिलाओं के प्रति घृणित अपराध की श्रेणी में होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरिनाम सिंह पुत्र इन्द्र बहादुर सिंह को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।